2683 Persono Injuries BHADRA 4, 1885 (SAKA) (Compensation Insurance) Bill

Page 9, line 38,

for "five" substitute "eight". (5)

Mr. Deputy-Speaker: I shall put the amendment to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That Clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 134 were added to the Bill

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Raj Bahadur: Sir, I move:

"That the Bill as amended be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14.59 hrs.

PERSONAL INJURIES (COMPENSATION INSURANCE) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir, I beg to move:

"That the Bill to impose on employers a liability to pay compensation to workmen sustaining personal injuries and to provide for the insurance of employers against such liability, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker: You may continue your speech tomorrow. We shall take up the next business now.

15 hrs.

MOTION RE: REPORT OF STATE TRADING CORPORATION OF INDIA

श्री म० ला० द्विवेदी : (हमीरपुर) : उपाघ्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष १६६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट पर लेखा परीक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पियों सहित जो ४ दिसम्बर, १६६२ को सभा की टेबुल पर रक्खी गई थी, विचार करती है।

स्टेट टेडिंग कारपोरेशन एक ऐसी संस्था है जिसे हम ने इस लिये स्थापित किया था कि वह इस देश में ऐसे लोगों के लाभ को कम कर दे जो पूंजी के ग्राधार पर ग्रायात-निर्यात का काम करते थे या दूसरे व्यापार करते थे ग्रौर श्रत्याधिक मुनाफा उठाते थे । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का जहांतक ग्रर्थ मैं समझाहं वह यह है कि राज्यों की ग्रोर से व्यापार चलाया जाय । राज्य हमारा कैंसा है ? हमारा राज्य एक मंगलकारी गणराज्य है । इस में जन-साधारण के हितों को ध्यान में रखना ग्रति म्रावश्यक है। इस लिये इस कारपे रेशन का यह कर्त्ताव्य था कि वह केवल इस दृष्टि से ग्रपना काम नहीं चलाता कि मुझे मुनाफा अधिक करना है जिससे लाभ की भावना उतनी न होती जितनी कि हम कारपोरेशन के द्वारा की हुई देखते हैं।

इस सदन को मालूम है कि जितना आयात बाहर से होता है, स्टेट ट्रेडिंग कार-पोरेशन ने उस में बहुत सी सामग्रियों का और बहुत सी वस्तुओं का एकिधकार प्राप्त कर रक्खा है और बाकी चीजें जो मंगाई जाती हैं उनका मूल्य जो यहां लिया जाता है वह उतना नहीं होता जितने पर कि हम बाहर से उनको मंगाते हैं अपितु उन पर मुनाफा बहुत ज्यादा लिया जाता है। तर्क यह दिया जाता है कि चुंकि